कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः–एम0ई0 / पर्चेज / 2023–24 / 117 लखनऊःदिनांकः 14 जून,2023

कार्यालय आदेश

राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में HVAC System (Screw Chillers) एवं मेडिकल गैस पाइप लाइन, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में HVAC System, मेडिकल कालेज, झाँसी में HVAC System एवं मेडिकल कालेज, कन्नौज में फायर फाइटिंग की ए0एम0सी0 / सी0एम0सी0 तथा मेडिकल कालेज, कन्नौज में अग्निशमन यंत्रों की ए0एम0सी0 / सी0एम0सी0 के लिए मेसर्स ऋषि इन्टरप्राइजेज द्वारा भ्रामक तथ्यों एवं गलत अभिलेखों को प्रस्तुत करने के साथ ही ओ0ई0एम0 के दस्तावेज भी स्वरचित / कूटरचित प्रस्तुत कर गलत तरीके से अनुबन्ध व कार्य प्राप्त किये गये है। इस सम्बन्ध में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, झाँसी व जालौन में HVAC System, गैस पाइप लाइन, फायर फाइटिंग से सम्बन्धित मूल पत्रावलियों को मंगाकर अधिकारियों की कमेटी गठित कर विस्तृत परीक्षण किया गया। कमेटी ने परीक्षणोपरान्त शिकायत के तथ्यों को सही पाते हुए स्वरचित व कूटरचित अभिलेखों के आधार पर अनुबंध प्राप्त करने को दृष्टिगत रखते हुए फर्म को Debar करने की संस्तुति की है।

फर्म मेसर्स ऋषि इन्टरप्राइजेज को इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0 / पर्चेज / 2023–24 / 79, दिनांक 26.05.2023 द्वारा मेडिकल कालेज, कन्नौज व जालौन, पत्र संख्या–एम0ई0 / पर्चेज / 2023–24 / 111, दिनांक 07.06.2023 द्वारा मेडिकल कालेज, कन्नौज में फायर फाइटिंग हेतु व पत्र संख्या–एम0ई0 / पर्चेज / 2023–24 / 112 दिनांक 07.06.2023 द्वारा मेडिकल कालेज, झाँसी हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिसके क्रम में फर्म मेसर्स ऋषि इन्टरप्राइजेज ने क्रमशः अपने मेल (rishitraders96@yahoo.co.in) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29.05.2023 से मेडिकल कालेज, कन्नौज व जालौन, पत्र दिनांक 08.06.2023 से मेडिकल कालेज, कन्नौज व पत्र दिनांक 08.06.2023 द्वारा मेडिकल कालेज, झाँसी हेतु उनका उत्तर दिया है। फर्म द्वारा दिये गये उत्तर व संलग्न अभिलेखों का सम्यक परीक्षण एवं अनुशीलन किया गया एवं उनका उत्तर तथ्यहीन एवं संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः कमेटी की जांच आख्या एवं फर्म मेसर्स ऋषि इन्टरप्राइजेज, लखनऊ द्वारा प्रेषित उत्तर एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का समयक परीक्षणोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मेमोरण्डम दिनांक 02.11.2021 एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल–2016 में विहित व्यवस्था Chapter-18, 18.5 'Fradulent Practice' means any act or omission including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation ' के दोष सिद्ध होने के कारण 18.6(3) if a procuring entity finds that bidders has breached the code of integrity prescribed, की व्यवस्था के अधीन फर्म मेसर्स ऋषि इन्टरप्राइजेज, लखनऊ को 02 वर्षो के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के निविदाओं में प्रतिभाग करने से डिबार किया जाता है तथा इनके द्वारा निविदाओं में संलग्न की गयी ई0एम0डी0 को जब्त किया जाता है।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

संख्या–एम0ई0 / पर्चेज / 2023–24 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, 2, 3 एवं 4
2. समस्त प्रधानाचार्य / निदेशक, राजकीय मेडिकल कालेज / स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान।
3. मेसर्स, ऋषि इन्टरप्राइजेज, लखनऊ।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

2023-24 A